भारत में अनुसूचित जनजाति की शिक्षा वर्तमान स्थिति और भावी आवश्यकताएँ

आशा शर्मा *
सुशील कुमार अवस्थी **

शिक्षा विकास का आधार स्तंभ होती है, इसलिये प्रत्येक वर्ग को शिक्षा के समान अवसर सुलभ होने चाहिये जिससे सभी की सक्रिय भागीदारी समाज एवं राष्ट्र के विकास में एक नागरिक के रूप में सुनिश्चित हो सके। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) में भी शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता को महसूस करते हुये प्रत्येक वर्ग को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने पर बल दिया गया, परंतु वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य पर दृष्टिपात करें तो यह पता चलता है कि विद्यालयी शिक्षा का लाभ अभी प्रत्येक वर्ग के बच्चों को पूर्णरूप से नहीं मिल पाया है। अनुसूचित जनजाति की शिक्षा के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं को भी लागू किया गया है, परंतु व्यावहारिक रूप में इसका क्रियान्वयन अभी भी पूर्णरूप से नहीं हो सका है। यही कारण है कि इस दिशा में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके हैं। अनुसूचित जनजाति की शैक्षिक स्थिति इसी तथ्य को उद्घाटित करती है। अत: आज व्यावहारिक धरातल पर सरकारी योजनाओं के पुन: क्रियान्वयन की आवश्यकता है, जिससे सभी को इसका समान रूप से लाभ मिल सके। प्रस्तुत शोध प्रपत्र में अनुसूचित जनजाति की शिक्षा की वर्तमान स्थिति, इस दिशा में वांछित प्रगति न होने के कारण, उनकी भावी आवश्यकताओं तथा इनकी शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझावों को उल्लिखित किया गया है, जिससे उनकी शिक्षा की स्थिति को सर्वव्यापी एवं बेहतर बनाने के लिये सार्थक प्रयास किये जा सकें।

* *एसोसिएट प्रोफ़ेसर,* लोक शिक्षा एवं जनसंचार विभाग, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश 485334

** *शोधार्थी,* शिक्षाशास्त्र , महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट ,जिला-सतना, मध्य प्रदेश 485334

Chapter 11.indd 102 09-08-2017 16:29:48

भारत विभिन्न संस्कृतियों की विविधताओं से युक्त एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, बोली और प्रजाति के लोग निवास करते हैं। इस विविधता में एक ऐसा समूह भी है जिसे हम जनजाति कहते हैं। सन् 1950 के संवैधानिक आदेश में 212 अनुसूचित जनजातियों की घोषणा की गई जो देश के विभिन्न राज्यों में बसते थे। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार देश की सकल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 10.3 प्रतिशत है, जिसमें 5.2 प्रतिशत पुरुष और 5.1 प्रतिशत महिलाएँ हैं। अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपरा, धार्मिक रीति-रिवाज और अलग जीवन शैली के कारण यह वर्ग आज भी अपनी विशिष्ट पहचान को बनाए हुये हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में इनकी विशेष देख-रेख, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय एवं उत्पीड़न से सुरक्षा की बात कही गई है और पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत भारत के विकास की योजनाओं में अनुसूचित जनजातियों के विकास को काफ़ी महत्त्व दिया गया है परंतु इसके बाद भी ये अभी 'वंचित' वर्ग में ही शामिल होकर वैचारिक विमर्श का मुद्दा बनी हुई हैं। सरकारी योजनाओं के विकासात्मक सोपानों की प्रक्रिया और उनके लाभों से अधिकांश अनुसूचित जनजातियाँ अभी भी काफ़ी दूर हैं। भौगोलिक दृष्टि से सुदूर एवं दुर्गम अंचलों में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति का एक बड़ा भाग आज भी शिक्षा रूपी उस प्रकाश से वंचित है जो उनके जीवन को उन्नयन की दिशा की ओर ले जा सके। अत: शैक्षिक विकास की दृष्टि से आज पुन: इस दिशा में वैचारिक विमर्श एवं शोधपरक दृष्टि की आवश्यकता है, जिससे अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा की स्थिति को समझते हुए उनकी भावी आवश्यकताओं और संभावनाओं के लिये सार्थक प्रयास किये जा सकें।

भारत में अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक स्थिति

समग्र विकास की प्रक्रिया में शिक्षा परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम है। स्वतंत्र भारत में प्रारंभ से ही केंद्र एवं राज्य सरकारें भारतीय संविधान के निर्देशों का सम्मान करते हुये अनुसूचित जनजाति की शिक्षा के लिये प्रयासरत रही हैं। परिणामस्वरूप इस दिशा में निरंतर प्रगति भी हुई है, परंतु सभी को शिक्षा के समान अवसर का लाभ मिले भारतीय संविधान के इस मौलिक उद्देश्य की अपेक्षित पूर्ति अभी तक नहीं हो पाई है। भारत में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर की स्थिति तालिका 1 में दृष्टव्य है —

तालिका 1

अनुसूचित जनजाति और कुल जनसंख्या की तुलनात्मक साक्षरता दर

(प्रतिशत में)

वर्ग/जनगणना वर्ष	1961	1971	1981	1991	2001	2011
कुल जनसंख्या	28.3	34.45	43.57	52.21	64.84	72.99
अनुसूचित जनजाति	8.53	11.30	16.35	29.60	47.10	58.96
अंतर	19.77	23.15	27.22	22.61	17.74	14.03

Source: Registrar General of India

साक्षरता दर को जनसंख्या वर्ष की आयु सात वर्ष और उससे अधिक के बीच में साक्षरों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता स्तर में सुधार हुआ है, हालाँकि साक्षरता के स्तर में अंतर है। सन् 1961 से 1991 के मध्य साक्षरता दर के अंतर में वृद्धि हुई लेकिन सन् 2011 की जनगणना में कुल साक्षरता दर एवं अनुसूचित वर्ग की साक्षरता दर के अंतर में गिरावट आयी और यह 14.03 प्रतिशत रह गई। भारत में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर सन् 1961 में 8.53 प्रतिशत थी, जो कि सन् 2011 में बढ़कर 58.96 प्रतिशत हो गई। वहीं दस वर्षों में साक्षरता दर के अंतर को देखने से पता चलता है कि वर्ष 2001 में कुल साक्षरता दर 64.84 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 72.99 प्रतिशत हो गई अर्थात् साक्षरता दर में 8.15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अनुसूचित जनजातियों की वर्ष 2001 में साक्षरता दर 47.10 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 58.96 प्रतिशत हो गई अर्थात् साक्षरता दर में 11.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर में वृद्धि तो हुई है फिर भी कुल जनसंख्या की साक्षरता दर से 14.03 प्रतिशत का अंतर भी है, इस अंतर को समाप्त करने के लिये सार्थक कदम उठाने होंगे।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर वर्ष 2011 में 50.6 प्रतिशत थी, जो कि भारत की औसत अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 58.96 प्रतिशत से 8.36 प्रतिशत कम है, इसी प्रकार आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा ओड़िशा की शैक्षिक स्थिति है। भारत सरकार को इन राज्यों के लिये विशेष प्रयास करने होंगे, ताकि इन राज्यों में भी अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर को बढ़ाया जा सके एवं इन्हें विकास की मुख्यधारा में जोड़ा जा सके। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर भी विशेष प्रयासों की आवश्यकता है क्योंकि जब तक माता-पिता/अभिभावक तथा समाज शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं होगा और स्वेच्छा से अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति प्रेरित नहीं होगा तब तक सरकारी योजनाएँ भी व्यावहारिक रूप में क्रियान्वित नहीं हो पाएँगी।

तालिका 2
विद्यालयी शिक्षा में नामांकन स्तर

(figures in 000')

कक्षा	वर्ष	समस्त वर्ग के विद्यार्थी			अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी		
		बालक वर्ग	*बालिका वर्ग*	*कुल*	*बालक वर्ग*	*बालिका वर्ग*	*कुल*
प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5)	1980–81	45300	28500	73800	3133	1527	4660
	2000–01	64000	49800	113800	6330	4665	10995
	2010–11	70468	64848	135316	7675	7178	14853

उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8)	1980-81	13900	6800	20700	537	205	742
	2000-01	25300	17500	42800	1879	1205	3084
	2010-11	32808	29248	62056	2837	2585	5422
माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 12)	1980-81	7600	3400	11000	537	205	742
	2000-01	16900	10700	27600	955	535	1490
	2010-11	28301	22894	51195	1831	1435	3266

Source: Abstract of Statistics of School Education MHRD, 2006-07 & Statistics of School Education, 2007–08, 2009–10, 2010–11

तालिका 2 से प्रदर्शित होता है कि वर्ष 1980–81 में प्राथमिक स्तर पर भारत में सभी वर्गों के लगभग 7 करोड़ 38 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत थे। जिनमें से अनुसूचित जनजाति के 46 लाख 60 हजार विद्यार्थी थे। वर्ष 2000–01 में प्राथमिक स्तर पर सभी वर्गों के लगभग 11 करोड़ 38 लाख विद्यार्थियों का नामांकन था। इनमें से अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1 करोड़ 10 लाख विद्यार्थी नामांकित थे। वर्ष 2010–11 में प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जनजाति के 1,48,52,359 विद्यार्थियों का नामांकन था जिसमें से 76,74,617 छात्र एवं 71,77,742 छात्राएँ थीं। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 1980–81 में लगभग 2 करोड़ 7 लाख विद्यार्थियों का नामांकन था जिनमें से अनुसूचित जनजाति वर्ग के 7 लाख 42 हज़ार विद्यार्थी थे। उच्च प्राथमिक स्तर पर सन् 2010–11 में अनुसूचित जनजाति के कुल 54,21,749 छात्र-छात्राओं का नामांकन था, इनमें से 28,37,031 छात्र एवं 25,84,718 छात्राएँ थीं। माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर पर वर्ष 1980-81 में सभी वर्गों के लगभग 1 करोड़ 10 लाख विद्यार्थियों का नामांकन था जिनमें से अनुसूचित जनजाति वर्ग के 7 लाख 42 हज़ार विद्यार्थी थे। वर्ष 2010–11 में सभी वर्गों के 5 करोड़ 11 लाख विद्यार्थियों का नामांकन था जिनमें से अनुसूचित जनजाति वर्ग के 32 लाख 67 हज़ार विद्यार्थी थे। इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की नामांकन दर में वृद्धि हुई है पर अभी भी इस दिशा में अपेक्षित प्रयास करने की आवश्यकता है।

तालिका 3
विद्यालयी शिक्षा में अपव्यय दर

(प्रतिशत में)

कक्षा	बालक वर्ग		बालिका वर्ग		कुल		
	अ.ज.जा.	*कुल*	*अ.ज.जा.*	*कुल*	*अ.ज.जा.*	*कुल.*	*अंतर*
कक्षा 1 से 5	37.2	28.7	33.9	25.1	35.6	27	8.6
कक्षा 1 से 8	54.7	40.30	55.4	41	55	40.6	14.4
कक्षा 1 से 10	70.6	50.4	71.3	47.9	70.9	49.3	21.6

Source: Statistics of School Education, 2010–11

तालिका 3 से स्पष्ट है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों में विद्यालय छोड़ने की दरें सभी वर्गों के विद्यार्थियों की तुलना में अधिक हैं। प्राथमिक स्तर पर सभी वर्गों के लगभग 27 प्रतिशत विद्यार्थी एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 35.6 प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय छोड़ देते हैं। इन दोनों वर्गों के मध्य 8.6 प्रतिशत का अंतर है। कक्षा (1–8) में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के 55 प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय छोड़ देते हैं, वहीं सभी वर्गों के 40.6 प्रतिशत विद्यार्थी ही विद्यालय छोड़ देते हैं। यह अंतर 14.4 प्रतिशत का है जो प्राथमिक स्तर के अंतर से ज़्यादा है। कक्षा (1–10) में अध्ययनरत सभी वर्गों के 49.3 प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय छोड़ देते हैं एवं अनुसूचति जनजाति वर्ग के 70.9 प्रतिशत विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को छोड़कर अन्य व्यवसायों में लग जाते हैं। इन दोनों वर्गों के मध्य 21.6 प्रतिशत का अंतर है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लगभग 29.1 प्रतिशत विद्यार्थी ही कक्षा 10 से आगे की पढ़ाई कर पाते हैं। यह स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। भारत सरकार को अनुसूचित जनजाति वर्ग को राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने तथा उनकी शैक्षिक प्रगति करने के लिए विशेष रूप से व्यावहारिक धरातल पर प्रयास करने होंगे तभी अनुसूचित जनजाति वर्ग की सामाजिक एवं शैक्षिक स्थिति में अपेक्षित सुधार हो सकता है। भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जैसे — राजीव गांधी राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों हेतु पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति, स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ, उपचारी शिक्षण, नेट/सेट के लिए अनुशिक्षण, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आवासीय अनुशिक्षण अकादमियों की स्थापना, समान अवसर एककों की स्थापना, शिक्षा संस्थानों में आरक्षण, रोज़गार में आरक्षण आदि। आशा की जा सकती है कि इन सभी योजनाओं का लाभ अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को मिलेगा तथा आने वाले वर्षों में अनुसूचित जनजातियाँ शैक्षिक एवं सामाजिक विकास की दृष्टि से सभी वर्गों के समकक्ष आ सकेंगी।

अनुसूचित जनजाति की शिक्षा में वाँछित प्रगति न होने के कारण

- भौगोलिक दृष्टि से सुदूर व दुर्गम अंचलों में निवास के कारण विकास की योजनाओं तथा शिक्षा के लाभ से वंचित रह जाना।
- निर्धन वर्ग की प्रतिकूल सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि।
- माता-पिता की आर्थिक सहायता हेतु विद्यालयी शिक्षा पूर्ण किये बिना ही विद्यालय छोड़ देना।
- शिक्षा के प्रति माता-पिता/अभिभावकों में जागरुकता का अभाव।
- शिक्षण अधिगम में भाषा की समस्या।
- शिक्षकों में भाषा की योग्यता और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की समझ का अभाव।
- शिक्षकों में अभावग्रस्त बच्चों के प्रति समझ एवं संवेदनशीलता का अभाव।
- शिक्षा के समान अवसरों का अभाव।

- शैक्षिक निष्पादन में अंतर/गिरावट।
- उपयुक्त मॉनीटरिंग का न होना।
- संस्थागत उन्नयन और विद्यालयी शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन की दिशा में यथासमय अपेक्षित प्रयासों का न होना।

भावी आवश्यकताएँ

अनुसूचित जनजाति की शिक्षा की स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी इनकी 'शिक्षा की विकास यात्रा' की गति धीमी है। इन्हें बेहतर बनाने हेतु इस दिशा में निम्नांकित प्रयासों की आवश्यकता है —

- सुदूर व दुर्गम अंचलों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों को विकास की योजना से जोड़ना तथा उन्हें शिक्षा के समान अवसरों को उपलब्ध कराना होगा, जिससे वे शिक्षा के लाभ से वंचित न रह सकें।
- निर्धन वर्ग के बच्चों को यदि विद्यालयी शिक्षा के प्रति आकर्षित करना है और वहाँ शिक्षा पूर्ण होने तक उन्हें पढ़ने के प्रति प्रेरित करना है तो उनके माता-पिता/पालकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। इसके लिये पालकों का अपने बच्चे की शिक्षा के प्रति जुड़ाव होना आवश्यक है। तभी बच्चों को सरकार द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सुविधाओं का भी सही उपयोग हो पाएगा।
- विद्यार्थियों के लिये सहायक सुविधाओं के अतिरिक्त ग्रामीण विद्यालयों विशेषत: एक शिक्षक वाले विद्यालयों की दशा में भी सुधार करना आवश्यक है। इस समय ग्रामीण विद्यालयों का पूरा वातावरण जैसे — शिक्षकों की योग्यता तथा उनकी कार्यक्षमता, विद्यालय भवन तथा अन्य शैक्षिक संसाधनों के साथ-साथ विद्यालयी वातावरण इतना अनाकर्षक और अरुचिकर है कि बालक विद्यालय में टिक नहीं पाते हैं। परिणामत: वे विद्यालय में प्रवेश के बाद शीघ्र ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। अत: सामाजिक न्याय की माँग है कि ग्रामीण क्षेत्रों में यदि विद्यालय बेहतर नहीं, तो कम से कम देश के सर्वोत्तम विद्यालयों के समान हों। सरकार को उन सभी उपेक्षित और साधनहीन विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में शैक्षिक विकास की प्राथमिक आवश्यकता के रूप में स्वीकार कर साधन संपन्न बनाना होगा।
- विद्यालयी शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में स्थानीय बोली का प्रयोग अपेक्षित होगा। तत्पश्चात् उसके बाद धीरे-धीरे उन्हें शिक्षा की मान्य भाषा से परिचित कराना उचित होगा। इस दृष्टि से उपयुक्त शिक्षण सामग्री जैसे — पाठ्यपुस्तकों और सहायक सामग्री के निर्माण की आवश्यकता है। इसके लिये शिक्षाशास्त्रियों और भाषा वैज्ञानिकों के बीच परस्पर सहयोग की आवश्यकता है।
- अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये विशेष प्रकार की कक्षाएँ भी आयोजित करने की आवश्यकता है, जिससे वे शिक्षा की माध्यम भाषा से अवगत हो सकें।
- अभावग्रस्त क्षेत्रों से आने वाले बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने के लिये दूसरा

उपचारी तरीका सरकार को यह अपनाना होगा कि इन क्षेत्रों के विद्यालयों में क्षेत्रीय योग्य शिक्षकों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाए। ऐसा करने से भाषागत समस्या और सांस्कृतिक समझ पृष्ठभूमि के अभाव की समस्या को दूर किया जा सकता है। इन ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में सेवा करने के लिये शिक्षकों को विशेष भत्ता, आवास तथा वे सभी सुविधाएँ प्रदान की जानी आवश्यक हैं जो बेहतर जीवन के लिये आवश्यक है। इसलिए विद्यालय भवन निर्माण के साथ ही बेहतर सुविधा संपन्न आवास का निर्माण भी किया जाना आवश्यक है, जिससे इन क्षेत्रों में जाने के लिये सुयोग्य शिक्षक स्वेच्छा से प्रेरित हो सकें।

- ऐसे शिक्षकों को यथासमय विशेष सम्मान और पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए जो अभावग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों की पृष्ठभूमि में सेवा एवं समर्पण भाव से कठिन एवं विषम परिस्थितियों में भी पढ़ा रहे हैं।
- अभावग्रस्त क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के बच्चों के प्रति शिक्षकों में समझ एवं संवेदनशीलता का भाव पैदा हो इसके लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को भी इस दिशा में सार्थक पहल करनी होगी। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे भावी शिक्षकों को विभिन्न परिवेश और संस्कृतियों से आए बच्चों के बाल मनोविज्ञान से परिचित कराने की आवश्यकता है। ताकि उनमें उनके प्रति समझ के साथ-साथ उनके प्रति भावात्मक लगाव भी पैदा हो सके।
- सामाजिक वर्गों का प्रभाव भी शैक्षिक निष्पादन पर पड़ता है। उच्च वर्ग के बच्चों को ज्ञानात्मक प्रतिपुष्टि का जो लाभ मिलता है वह निम्न वर्ग के बच्चों को नहीं मिल पाता है। यही कारण है कि अधिकांश निम्न वर्ग के अनुसूचित जनजाति के बच्चे माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। इस असमानता को दूर करने के लिये उन अभावग्रस्त विद्यालयों को देश के सर्वोत्तम विद्यालयों के समान बनाने के लिये प्रमुखता देनी होगी। तभी शैक्षिक स्तर पर असमानता की स्थिति को दूर किया जा सकता है।
- संस्थागत वातावरण और विद्यालयी शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन में सरकारी प्रयासों के क्रियान्वयन की भी आवश्यकता है। यह तभी संभव है जब प्राचार्य और मॉनीटरिंग से जुड़े सभी सक्षम अधिकारी इस दिशा में निष्ठा और रुचि के साथ अपनी सकारात्मक भूमिका को निभाएँ।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि केंद्रीय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की शिक्षा के विकास के लिये जो भी रणनीति बनायी गई उसका व्यापक प्रभाव यह दिखा कि वे विकास की मूलधारा से भले ही पूर्णत: अभी नहीं जुड़ पाई हो परंतु कम से कम उसके अति-निकट आ गई है। परिणामत: विभिन्न सरकारी सेवाओं में उनकी सक्रिय सहभागिता एवं प्रतिनिधित्व को देखा जा सकता है। आजीविका के विभिन्न क्षेत्रों

जैसे — कृषि, पशुपालन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं उपयोग, व्यावसायिक कला एवं संस्कृति तथा हस्तकला जैसे लघु उद्योगों में इनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। अत: आज आवश्यकता है कि इन्हें वंचित समूह के अंतर्गत न मानकर क्रियाशील समुदाय में परिवर्तित कर राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, जिससे इनकी भी सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके और यह भी समाज एवं राष्ट्र के विकास का एक अभिन्न अंग बन सके।

ग्रंथ सूची

अब्दुलरहीम, ए. 2011. एजुकेशन फ़ॉर द इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स इन इंडिया. *एन एसेसमेंट इकोनॉमिक अफ़ेयर्स*. वॉल्यूम 56, अंक 2, जून. पृ. 233–242.

चौबे, रमेश. 2011. भारत की जनजातियाँ, *रचना* (द्विमासिक), अंक 93, पृ. 5–12, नवंबर-दिसंबर.

भारत सरकार. 2013. स्टेटिस्टिकल प्रोफ़ाइल ऑफ़ शड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया.

_____. *भारत 2015*. प्रकाशन विभाग. सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नयी दिल्ली.

_____. 2014. *योजना*. जनवरी. वर्ष 58. अंक 1. प्रकाशन विभाग, योजना भवन, संसद मार्ग, नयी दिल्ली.

शुक्ल, अमित. 2011. भारत की विभुक्त जनजातियों में शिक्षा का स्तर और संभावनाओं के सेतु. *रचना* (द्विमासिक). अंक 88. पृ. 74–76, जनवरी-फ़रवरी.

साहू, के. के. 2014. चैलेंजिंग इश्यूज़ ऑफ़ ट्राइब्ल एजुकेशन इन इंडिया. आईओएसआर. *जर्नल ऑफ़ इकोनोमिक्स एंड फ़ाइनेंस*. वॉल्यूम 2. पृ. 48–52. मार्च–अप्रैल.

सिंह, रहीस. 2014. उदारवाद के दौर में जनजातियाँ. *योजना*. वर्ष 58. अंक 1. पृ. 42–44 जनवरी. योजना भवन, संसद मार्ग, नयी दिल्ली.